

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड- अकलेरा जिला झालावाड

Email :- pwdaklera@rediffmail.com & eeaklera.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 633

दिनांक : 23/08/2024

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- **Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/10297 दिनांक 19.07.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित विषयाकित्त प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति तहत् धारा-2 मे **Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan** मे 0.2 हैक्टर हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन के लिए **FRA Certificate** पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

S.No. 646

Date :- 05.09.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan में 0.20 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है					
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 61,05,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है					
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 1,25,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है					
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नही दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 79,88,695/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है					
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।					
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।					
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.223 को उक्त कार्य हेतु राशि रु 1764576/- सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु. 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवस/2023/ 9266 दिनांक 07.08.2023 के उिमाण्ड नोट के अनुसार समयोजन कि अनुशंषा की है।					
	सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि
	1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277
	2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	700 वृक्ष	6880559	8366501	6880559	1485942
	3	एनपीवी0 राशि	02हेक्ट. @ 957780/-	125200	191556	125200	66356
		योग		7988695	9753271	7988695	1764576
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।					
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।					


16 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हाँ जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र



(खेमचन्द मीश्रा)
अधिशर्षी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक :- 646

दिनांक - 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. गृह झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना


(खेमचन्द मीश्रा)
अधिशर्षी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

S.No. 257

Date :- 13/06/2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan में 0.20 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 61,05,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रुपये 1,25,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नही दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रुपये 79,88,695/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अधिकरण द्वारा धन राशि रुपये 79,88,695/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 79,88,695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 61,05,000/- दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 1,25,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि -3,87,639/- रुपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि - 4,99,056/- रुपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हैं जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(खेमचन्द मीना)

अभिजाती अभियन्ता
सामूहिक निर्माण विभाग
डॉ. खेमचन्द मीना 5294

क्रमांक :- 257

दिनांक :- 13/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अभिजाती अभियन्ता
सामूहिक निर्माण विभाग
डॉ. खेमचन्द मीना 5294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा ज़िला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के
अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3
की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या
से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
स.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/- रुपये जमा करवा दी गई है।
चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सकलिते खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) राशि 61,05,000 /—रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,25,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे 79,88,695/-रूपये जमा करा दिये गये है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीनम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डो डीओ ओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:-101

दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंरक्षक
झालावाड जिला झालवाड राज0

विषय:- सम्पर्क सडक एन-52 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा अन्डर RRSMP (Phase-II)
in Distt. झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 499056.00 रु केम्पा फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टेजरी के बिल की प्रति सलंगन कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय
(एन.सा.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवस/2019-20/
निमित्त :-

दिनांक:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. में 0.2 हैक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगें। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।

हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रियल पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रु 125200 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रु 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरू डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से भिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रु. 2. मार्ग के तीनों तरफ वृक्षारोपण 8880599 /- रु. 3. एन.पी.वी - 125200 /-

स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी क्षतिपूर्ति कारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)

14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चिता की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति का युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
 2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
 3. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय
 ६६ती
 (नन्दलाल प्रजापत)
 उप वन संरक्षक
 झालापाड़

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2019-20/ 9135 दिनांक: 10-6-19
 प्रतिलिपि :- अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेश को उनके पत्रांक 110 दिनांक 28.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Key
 उप वन संरक्षक
 झालापाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

9

क्रमांक : 107

उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक : 28.5.19

विषय:- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan.

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (51)वन /2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 किमी. 358/500 से नयागाव बानपुरा अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.2 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति हानि पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की रहेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के घ्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।


30/5/19
29-5-19

	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जायेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, राशि रु. 125200/- रूपये जमा करवा दी गयी है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी, राशि रु. 7988695/- रूपये जमा करवा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रु. 902936 रूपये सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सद्दाम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हाँ जी, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा। तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अभिकरण द्वारा धन राशि 7988695/- रूपये जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंगन है। कुल 7988695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936/- 2. मार्ग के तीनों तक वृक्षारोपण:- 6880559/- 3. एन.पी.वी. -125200/-
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबन्धित क्षेत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी। जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति सलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र
3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र


(एल. श्रीवांगडी)
अधिराषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक: _____
कमांक: _____
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरस्थाना


अधिराषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email id-dc@jhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/11843
निमित्त :-

दिनांक 6-8-19

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय :- Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) को भुगतान जमा कराने के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड़ रोड / एफ.सी. ए / प्रमुखसं / 2761-62 दिनांक 24.07.2019।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिराषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनो सड़को की राशि टी.वी वाउचर संख्या 17865 दिनांक 27.08.2019 को केम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा हो गई है जिसके वाम बिल, टी.वी वाउचर व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रयोजित संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का भ्रम करे। संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (नन्दलाल प्रजापति)
 उप वन संरक्षक
 झालावाड़

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/
 प्रतिलिपि अधिराषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनाार्थ प्रेषित है।

दिनांक

उप वन संरक्षक
 झालावाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/20

✓ श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - विलो के भुगतान जमा होने के काम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamanl under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रगुवस

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि उपर्युक्त तीनों सड़कों का भुगतान टी वी याउघर्स संख्या 17864 (शोज्या सड़क), टी वी याउघर्स संख्या 17865 (नयागांव भानपुरा सड़क) टी वी याउघर्स संख्या 17866 (जटामरी सड़क) से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड को खाता संख्या 1508581135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है भुलवश उसमें जमा हो गयी है जिसके ब्याज बिल, टी वी याउघर्स व झालावाड की प्रति पत्रों के साथ संलग्न है।

FCA

Kul
6/8/2019

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रपत्र संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/ RJ / ROAD / 7757 / 2014 ढाढ़ादिहा से जटामारी	1096947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177570372
2	FP/ RJ / ROAD / 7595 / 2014 एनएच 12 से राज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856175950315
3	FP/ RJ / ROAD / 7759 / 2014 एनएच 12 किमी से 352/500 से नयागांव मानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त तीनों सड़कों की राशि जो कि खाता संख्या 150856113599 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान में जमा हो गयी है उसको उक्त सड़कों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करें।

गणदीय
अभिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

सम्मान: - वाम दिशि टीवी
बाएँ व दाएँ की प्रतियां

कमांक
प्रतिलिपि श्रीमान प्रधान मुख्य अत संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर
प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षण झोटा
प्रतिलिपि श्रीमान अधिष्ठाक अभिशाषी सा नि वि वृत्त झालावाड

दिनांक
अभिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक- 321

दिनांक :- 7/8/2019

श्रीमान् उपवन संरक्षक
झालावाड़ जिला झालावाड़ राजग

विषय- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajssthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)


संदर्भ:- श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14
()2014 / झालावाड़ रोडस / एफसीए / प्रमुवरां / 24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पायी गयी कमियो की पूर्तिकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

क्रमांक	बिन्दुवार पायी गयी कमिया	बिन्दुवार कमिया की पूर्ति
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवाई गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को जारी की गई थी। परन्तु विभाग द्वारा पालना, रिपोर्ट एवं राशि विभाग को देरी से प्राप्त हुई थी जिसको की देरी से जमा करवायी गयी इससे विलम्ब हुआ। No violation Certificate संलग्न।
2	उप वन संरक्षक द्वारा राशि रु. 7988735/- जमा होना अवगत कराया गया है। जबकि ऑनलाईन परीक्षण किये जाने पर राशि रु. 7489639/- जमा की गई। अतः बकाया राशि रु. 499096/- का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।	बकाया राशि 499096/- रु टीवी वाउचर संख्या 17865 से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड के खाता सं 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोढान के खाते में भुलवश जमा हो गई है। जिसको स्थानान्तरित करने हेतु श्रीमान् मुख्य वनसंरक्षक जयपुर को निवेदन किया हुआ है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यो की गई है।	मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(एल.सी.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड्स / एफसीए / प्रमुखसं /

दिनांक:

मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759
/2014

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें निम्नानुसार कमियां पायी गयी है:-

1. प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवायी गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक द्वारा निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है:-

1. 100 वृक्षों का वृक्षारोपण	-	982936.00
2. दोनों ओर का वृक्षारोपण	-	6880599.00
3. एन पी वी.	-	125200.00
		7988735 / -

जवकि ऑनलाईन राशि जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि जमा की गई है:-

दिनांक 26.04.2017	-	7102000 / -
दिनांक 01.11.2018	-	387639 / -
		7489639 / -

अतः बकाया 499096.00 राशि का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।

3. उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यों की गई है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुओं की पालना उप वन संरक्षक, झालावाड़ एवं संबंधित यूजर एजेंसी से करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,




(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड्स / एफसीए / प्रमुखसं / 27 61-82 दिनांक: 24/2/19
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।


(गणेश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक (एफ सी ए)

अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email Id-dcfiha@nwar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/11883

दिनांक 6-8-19

निमित्त :-

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय - Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Naragan
Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा करवाने के संबंध में।

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र
क्रमांक एफ 14 () 2014/झालावाड़ रोड/एफ.सी. ए/प्रमुदस/2761-62
दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रासंगिक पत्र के सदर में निवेदन है कि अधिकांश
अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न)
द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनों सड़कों की राशि टी वी वाउचर संख्या 17885 दिनांक 27.08.2019 को
कम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा
हो गई है जिसके वाम बिल, टी वी वाउचर व प्रस्ताव की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	प्रोजेक्ट संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की
राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको
इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
Heel
(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/

प्रतिलिपि अधिराशी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर
 दिनांक

क्रमांक एच 14()2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रभुवस /
 प्रधान वन संरक्षक


विषय Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
 RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No FP/RJ/ROAD/7759
 2014
 सद्यः आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

आपका विषयसंबंधित सदरमित पत्र से प्राप्त विन्दुवार पालना रिपोर्ट का
 मूल्यांकन करके पर्याप्त निम्नानुसार अभियता प्राप्ति गयी है
 1. प्रस्तावित नया रास्ता 03.03.2015 का सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।
 प्रस्ताव में पालना देश से निजवाये जाने
 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
 2. प्रस्तावित रास्ता 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र
 प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त शर्तों का निम्नानुसार शांति जमा होना अवगत कराया है -
 982936 00
 6880599 00
 125200 00
 7983735 /-
 इन शर्तों का पालन गरीब होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार शांति

7102000 /-
 287000 /-
 2489039 /-


उपरोक्त राशि का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।
 प्रस्तावित राशि का प्रयोग करने की वचनबद्धता संलग्न जसो की गई है।
 उपरोक्त राशि का प्रयोग विन्दुवार की पालना उप वन संरक्षक झालावाड एवं संबंधित
 अधिकारियों के माध्यम से किया जाये ताकि अभियता कार्यवाही की जा

भवदीय

 (राजेश कुमार जैन)
 मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एच 14()2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रभुवस / 27 61-81 दिनांक 24/7/19
 प्रतिलिपि-निम्नांकित को सदरमित पत्र के क्रम में सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
 है-

- 1 उप वन संरक्षक, झालावाड।
- 2 अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।


 (गणेश कुमार वर्मा)
 उप वन संरक्षक (एफ सी ए)
 अरण्य भवन, जयपुर

अभिज्ञान मातृपुत्र

Reference No : 2438824

Government Of Rajasthan
WAM Intercluster sheet

Detailed Wam bill of EX org paid Div-AKlera(15294)

Bill For Works Payment	WAM Payment	Months/Year	May/2019
Division Name	EX EN PWD AKLERA	OfficeID	15294
DOB	2405/2019	Reference No	1752875
TAN	JONE00424E	Division Code	103
SF	499056 00	Demand No	21
		Object Head	21
		NonPlan	0 00
		Wam Reference No	81/1 of 10
		Bill No	10072
		DOCode	15294
		Budget Head	3054-04-800-02-01/SF/V
		NA	0 00

To: The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA

Please Order to pay ₹ 499056 as per the claim contained in this bill
Sign of Clerk

Sign of DA
Sign of [Signature]
सा निमित्त खण्ड अकलरा
डि० डी० ओ० 15294

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this conforms within the limits of the sanctioned budget/LC
I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sr No	Name Address State	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID सा निमित्त खण्ड अकलरा डि० डी० ओ० 15294	Budget Head Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE 1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:00 AM	499056 00 499056 00	1752875	

Gross Amount Rs. 499056 00
B T Amount Rs.
Amount in Words : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX Only
Net Amount Rs. 499056 00

For Accountant General Office

Admitted ₹ Objected ₹	No: 1752875		Date: 24/05/2019
	Pay ₹ : 499056.00	सा निमित्त खण्ड अकलरा डि० डी० ओ० 15294	
	B T Heads		
	Head	Amount	
	Total		
	(In Cash) ₹ : 499056 00		
	(In Words) : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY		

Auditor Supdt Gaz Officer Auditor AAO-I/I Treasury/Sub Treasury Officer

NH-12 से 14) गाय मंडल

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

Reference No.:

Bill/Ref No.: 10072. Dated: 24/05/2019

Division Name: EX.Leng prd Div-Aklara. Division Code: 15294

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: NH-12 km 358/500 to Nayagoan

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/BillNo: Dated:

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: AccountNo. - 150856113599281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
------	-----------	-------------	--------

Net Amount Payable In Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Received fromsum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)....purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal

Signature of DA with seal
अधीनशाही अभियन्ता
सां वि० वि० खाण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(46)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words : Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

NEFT RTGS CHALLAN

NH12H राजीव गांधी माल्युरी

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(46)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words : Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

[Signature]
अधिसूचना 15/5/2019
राजस्थान राज्य सरकार
डी.डी. ऑफिस 15294

राजस्थान की वन विभाग की स्वीकृति की लकी

राजस्थान सरकार
वन विभाग
क्रमांक: व. 1(46) वन/2015
वजपुर दिनांक 03.03.2015

इसका नाम वन संरक्षण (HoFF)
परमाणु वजपुर।
विषय - Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura

परमाणु वजपुर।
विषय - Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan में 02 डेकोरा हेतु वनभूमि के प्राथमिक स्वीकृति
लिपि वर्ग के प्राथमिक प्रमाण की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्राथमिक वन भूमि का उपयोग किन्हीं अन्य उपयोग के लिए नहीं किया जाएगा।
3. इसका नाम वन संरक्षण अर्थात् वन भूमि के अंतर्गत परमाणु वजपुर के वन संरक्षण के पत्र क्रमांक व. 1(46) वन/2015 दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार के वन संरक्षण के पत्र क्रमांक 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत वर्ग-2 में प्राथमिक स्वीकृति कायम रखी गयी है।
4. प्राथमिक वन भूमि का उपयोग प्रकृतिक सौंदर्य के प्राथमिक प्राथमिक के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए वनभूमि को किन्हीं प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा एवं वनभूमि का उपयोग प्रकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं किया जाएगा।
5. प्राथमिक क्षेत्र में जैविक विविधता को वन विभाग के विनियमों के तहत बनाए रखा जायेगा एवं जैविक विविधता को प्रकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए बनाया जाएगा।
6. प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जायेगा एवं जैविक विविधता को प्रकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र को बनाए रखा जाएगा।
7. प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वन भूमि से 10 मीटर के अन्तर्गत 100 मीटर तक 10 से अधिक मीटर का अन्तर्गत परमाणु वजपुर के पत्र क्रमांक व. 1(46) वन/2015 दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत वर्ग-2 में प्राथमिक स्वीकृति कायम रखी गयी है।
8. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जायेगा एवं जैविक विविधता को प्रकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र को बनाए रखा जाएगा।
9. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
10. प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि का उपयोग प्रकृतिक सौंदर्य के प्राथमिक प्राथमिक के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए वनभूमि को किन्हीं प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा एवं वनभूमि का उपयोग प्रकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं किया जाएगा।
11. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
12. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
13. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
14. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
15. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।
16. प्राथमिक अधिनियम द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि/वनप्रान्त (Flora/Fauna) की क्षति को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए रखा जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के अधीन वन विभाग द्वारा वनभूमि का प्राथमिक प्रमाण प्रकृतिक सौंदर्य के प्राथमिक प्राथमिक के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए बनाया जाएगा।

प्राथमिक,
(जी.एच. राजस्थान)
वजपुर अधिनियम

magicbricks

magicbricks

राज्य वनत गृह

राज्य वनत गृह का उद्देश्य है कि वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करके वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखे जा सके। यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।

वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।



वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य वनत गृह
(वन संरक्षण विभाग)

प्रमाण संख्या: 100/2018/वनत/2018/

दिनांक: 10/01/2018

विषय: वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड अजमेर

पत्रा संख्या: 100/2018/वनत/2018/

विषय: वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए आवश्यक भूमि का विवरण (अनुसूची-1 के अनुसार)

क्र.सं.	परिचय	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	मूल्य (₹)	विवरण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

अभिशासी अभियंता
वन संरक्षण विभाग,
अजमेर

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
 Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
 Hall No.1, CGO Complex
 Lodhi Road, New Delhi-110003
 Dated: 01st June, 2023

To,
 The Assistant General Manager
 Union Bank of India
 FCS Bangalore Branch
 Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)


Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No. /Judl/2016

Dated :

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having in-mated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for construction of approach road to Nayagaon Bhanpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat Khedla Village in Nayagaon Bhanpura in Asnawar Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as Annexure A to Annexure B
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक को दोपहर: बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक को दोपहर बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक आहूत की गई जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, अकलेरा व असनावर द्वारा सम्पर्क सडको के निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई पत्र जारी नहीं किया हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पर्क सडको जिनके संबंध में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने की अभिशंषा की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावर	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर
2	सम्पर्क सडक बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावर	497,529,530,528, 155,99,98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर
3	सम्पर्क सडक रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

दिनांक :

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम / /
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड
2. उप वन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा, असनावर
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा ।
5. रक्षित पत्रावली

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

दिनांक को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति..... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	ढायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	बडौदिया	497	बडौदिया	210 sqm= 0.021 Hect.
2	बडौदिया	529	बडौदिया	4130 Sqm = 0.413 Hect.
3	बडौदिया	530	बडौदिया	414 Sqm = 0.014 Hect.
4	बडौदिया	528	बडौदिया	3360 Sqm = 0.336 Hect.
5	जटामरी	155	बडौदिया	1260 Sqm = 0.126 Hect.
6	जटामरी	99	बडौदिया	210 Sqm = 0.021 Hect.
7	जटामरी	98	बडौदिया	630 Sqm = 0.063 Hect.
			कुल	9940 Sqm = 0.994 Hect.


परियोजना अधिकारी
जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग
झालावाड


उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

दिनांक 01/07/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, असनावर..... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	तलवाडिया	105	खेडला	2000sqm= 0.20 Hect.


क्षेत्रीय वनाधिकारी
असनावर (झालावाड)



विकास अधिकारी
पंचायत समिति झालरापाटन



उपखण्ड अधिकारी
असनावर (झालावाड)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड (राज.)

दिनांक 11/6/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति खेडला की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क.स.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	ढायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	तलवाडिया	105	खेडला	2000sqm= 0.20 Hect.


ग्राम सेवक एवं प्रदत्त सचिव
ग्राम पंचायत खेडला
पंचायत समिति झालरापाटन


ग्राम पंचायत खेडला
पंचायत समिति
ग्राम पंचायत खेडला
पं.स. झालरापाटन, जिला- झालावाड

कार्यालय ग्राम पंचायत खेड़ला

पंचायत समिति झालरापाटन, जिला-झालावाड़ (राज.)

प्रेषक
कंचनबाई
 सरपंच
 ग्राम पंचायत, खेड़ला
 पं.स. झालरापाटन, जिला-झालावाड़ (राज.)
 मोबा. 9950351972

प्रेषिती श्रीमल अधिराणी अक्किमता
 सांख्यिक निगम विभाग रण
 अकलेश विभाग झालावाड़

क्रमांक- ग्रा/पं/खेड़ला.2024-25/07

दिनांक : 11/06/2024

विषय :- सम्पर्क सड़क के डाफरीकरण करवाने आवत नमामां व भानपुरा से NH 52 के
 सहोदर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत खेड़ला
 कि सम्पर्क सड़क NH.52 से नमामां व भानपुरा की दूरी में 0.20 हेक्टर
 उपरती है जो कि वन विभाग क्षेत्र अन्तर्गत है यह ग्रामवासियों
 के आवागमन का पिछले 50 वर्षों से एक बाधा बनता है ग्रामवासियों
 कि मांग पर उक्त दूरी में से सांख्यिक निगम विभाग रण अकलेश द्वारा
 डाफर सड़क निकालने के लिए वन विभाग से अनावर से ग्राम
 नमामां व भानपुरा के बीच रास्ते के लिए वन विभाग कि छूट
 आशित करने का प्रस्ताव ग्रामवासियों व कौंसिल द्वारा वन विभाग के
 निम्नानुसार कार्य कराने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर वन विभाग
 को प्रस्ताव कि फौरीबापी कियवाने का विनिमि लिदा पाल है।

(Signature)
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत खेड़ला...
 पं.स. झालरापाटन

ग्राम सभा
11/6/2024

मीमान विकास अधिकारी महीद के पत्र क्रमांक/पंशाखा/2024-25
[26 विनांक 10/6/2024 के पत्र में आदेशानुसार ग्राम सभा
का आयोजन किया जिसमें सदस्य सदस्यगणों को सरपंच
साहब द्वारा विज्ञापन द्वारा आमवासियों को निम्न सुझाव
दिए गए।

प्रस्ताव 1 - सरपंच साहब द्वारा मानवीय मुराफांगी महीद द्वारा निष्कर्ष
पत्रों के उपलब्ध में मुराफांगी वसूरीपण का
वहाअभिधान का शुभारंभ किया जाने है, एलाक
मूल से लेकर ग्राम स्तर तक निर्धारित लक्ष्यानुसार
पौधों कि संरक्षा प्रणालि पौधारीपण है, स्थान शोक्तिवाड
का चिन्हीकरण मांग उपलब्धता नसरी है।
ग्राम पंचायत से समस्त गावों में मांग अनुसार कर्मलपुमाड
स्वीकृतीपा है, तकमीना बनवाने है, सर्वसम्मति
से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव 2 सरपंच साहब द्वारा आमवासियों को अपगत कराया
कि प्रत्येक परिवार को उस वर्ष मान्यता होने पर
5-5 पौधे लगाये जाने उनकी सुरक्षा करने एवं अनावरणक
पौधों कि जवारी शेकने का सुझाव दिया जिसका सर्वसम्मति
से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव 3 आम ग्राम सभामें मानवीय विकास अधिकारी काफलेमसे प्राप्त
पत्रों के व आमोक्तिन सहायक अभिधान सा. नि. वि. उपरवक्त प्रसंगपर
पत्रों SP-101, दिनांक 27-5-2024 द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम नगरांगमकडा
के समस्त सदस्य 17/5/24 से नगरांगमकडा को छूटि से डामरीकरण है, प्रस्ताव
अमा जिसमें आमवासियों द्वारा उपपरी में पुर्वी में आम रास्ता होना वताया गया
असंगे व विभाग कि 0.20 हेक्टर छूटि आजा वताया गया आमवासियों को मांग
अंमोलि वकी सभसे किया रही है उक्त रास्ता नगरांगमकडा को ग्राम पंचायत
असंगे से जोडने का एक मांग रास्ता है जिसके आधार पर ग्राम सभा में उक्त प्रस्ताव
अनुमोदन करते हुए आवेदनिक निम्नलि विभाग को वग विभाग के निम्नानुसार
मुजारे लेकर काम करवाने है, नहरांग प्रकान करने के निम्नलि अनुमोदन
असंगे ही वगिधत से किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
आलखपाटन

की चतुर्वर्ग
सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स. आलखपाटन, जिला- जालंधर